

अनवान:-

जगदीश पुत्र तिलोकाराम जाति नायक सा. इन्द्रपुरा तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ।

अपीलांत

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

रेस्पोंडेंट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29.07.2013 बंदादालत तहसीलदार संगरिया।

उपस्थित:- 1 श्री अजय कुमार विश्णोई अभिभाषक अपीलांत ।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक ।

-निर्णय:-

सत्यमेव जयते

दिनांक: - 09.09.19

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 कैम्प इन्द्रपुरा में ग्रामवासियों द्वारा पेश प्रा0पत्र में उपखण्डाधिकारी संगरिया के आदेश क्रमांक 21 दिनांक 12.2.13 की पालना में पटवारी हल्का इन्द्रपुरा की रिपोर्ट दिनांक 24.4.13 के अनुसार राज0 उपनि0 अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक 24.4.13 को प्रकरण रेस्पों के कार्यालय में दर्ज किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत ने चक 17 एम.जे.डी. गै0मु0(शमशान भूमि) प0नं0 108/174 कि0नं0 18 में 86 गुणा 45 कुल 3870 वर्गफीट भूमि पर मकान बनाकर गै0मु0 शमशान भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। पत्रावली दर्ज कर धारा 22 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अपीलांत को नोटिस की तामील विधिक रूप से मानकर अपीलांत के हाजिर नहीं आने पर अनेक पेशियां पड़ती रही व दिनांक 29.7.13 को अपीलांत के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर उपनि0 अधिनियम की धारा 22 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांत को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल करने के आदेश दिये गये एव माल गुजारी का 50 गुणा तावान कायम किया जाकर वसूल करने के आदेश दिये गये। अपीलांत को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी व ना ही अपीलांत को पूर्व में उक्त प्रकरण में कोई नोटिस प्राप्त हुआ। अब रेस्पों द्वारा जारी नोटिस दिनांक 12.6.19 अपीलांत को प्राप्त हुआ जिसमें यह अंकित किया कि अपीलांत ने गै0मु0 शमशान भूमि पर मकान/बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा कर रखा है आप इसे 10 दिवस में हटा लें। अपीलांत को उक्त नोटिस प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पत्रावली की जांच पड़ताल की व प्रमाणित प्रति हासिल की तब अपीलांत को उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 20.7.13 का ज्ञान हुआ। अपीलांत गांव इन्द्रपुरा में करीब 40 वर्षों से आबाद है व चक 17 एमजेडी प0नं0 108/174 कि0नं0 18 ,19, 22, 23 की भूमि पुराना चोब जोहड़ के नाम खसरा में दर्ज है व

अब इस भूमि पर अपीलांट सहित काफी परिवार निवास कर रहे हैं व अपीलांट व अन्य ने इस जगह पर पानी, बिजली के कनेक्शन अपने नाम से ले रखे हैं। रेस्पोंडने राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर इस भूमि को गै0मु0 शमशान भूमि मानकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली के आदेश कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से पारित किये गये हैं। अपीलांट आदेश से व्यथित होकर निम्न लिखिल आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रही है:-

क- यह कि तहसीलदार संगरिया द्वारा पारित आदेश कतई गलत विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त होने योग्य है।

ख- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। आदेश एक पक्षीय हाने से अपास्त होने योग्य है।

ग- यह कि प्रश्नगत भूमि साईज 86 गुणा 45 कुल 3870 वर्गफीट पर अपीलांट का नाजायज कब्जा नहीं है। यह भूमि चौब जोहड़ के नाम खसरा में दर्ज है जिस पर अपीलांट काफी अर्सा में आबाद है व बिजली पानी के कनेक्शन लिये हुए हैं। यह भूमि कभी भी गै0मु0 शमशान की भूमि के रूप में दर्ज नहीं रही है व ना ही वर्तमान में है व ना ही शमशान भूमि के लिए मारक्षित है। तहसीलदार ने इस भूमि पर अपीलांट को कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से राजनैतिक दबाव में आकर अतिक्रमी मानकर विधिक भूल की है।

ग- यह मा0 उच्च न्यायालय जयपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका सं0 11153/2011 गोओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.5.12 को स्पष्ट रूप से निर्देश सारित किये गये हैं कि 1955 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि जो नाला, तालाब, नदी, बांध व आयतन उल्लेखित हो, उसका आवंटन या नियमन सभी उद्देश्यों के लिए प्रतिबंध किया गया लेकिन तहसीलदार संगरिया द्वारा जानबूझकर राजनैतिक दबाव में आकर उक्त भूमि को शमशान भूमि की भूमि मानकर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है।

रेस्पोंडने आदेश दिनांक 29.7.13 की पालना/क्रियान्विति में अपीलांट को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने व तावान राशि वसूलने हेतु प्रयासरत है यदि अपीलांट अपने इस मुचित व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो अपीलांट को भारी असुविधा व अपूर्ण्यति होगी व अपील में सफलता मिलने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। प्रथम दृष्टया मला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। इसलिए अपीलांट स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.6.13 अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडने की तलबी की गयी। रेस्पोंडने की ओर से गो सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर सलग्न पत्रावली किया गया।

अन्तिम बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि अपीलांट का शमशान की भूमि पर कब्जा नहीं बल्कि जोहड़ चौब की भूमि पर काफी अरसा पूर्व से आबाद है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में शमशान के नाम दर्ज नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान शमशान भूमि है जबकि राजस्व रिकार्ड में जोहड़ चौब की भूमि है। दोनों ही परिस्थितियों में प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को अनाधिकृत कब्जा व मकान निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार चक 17 एमजेडी के प0नं0 108/174 कि0नं0 18

86 गुणा 45 फीट पर मकान बनाकर कब्जा किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत परचा खतौनी चक 17 एमजेडी में प0नं0 108/174 कि0नं0 18 चौब जोहड़ दर्ज है। जिस भूमि पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर मकान बनाया गया है वह रिकार्ड में चौब जोहड़ दर्ज है, जिस पर कब्जा कर मकान बनाना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमियां प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती हैं, जिसका किसी को भी आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार संगरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.13 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। त्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़